बारामती ने नम आंखों से 'दादा' को दी विदाई

अजित पवार का अंतिम संस्कार, दोनों बेटों ने मुखाग्नि दी

पत्नी ने चढ़ाया गंगाजल, शाह और शरद पवार रहे मौजूद

बारामती, 29 जनवरी. बारामती के काटेवाड़ी स्थित विद्या प्रतिष्ठान मैदान में गुरुवार को महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार का अंतिम संस्कार हुआ, दोनों बेटों पार्थ और जय पवार ने उन्हें मुखाग्नि दी.

पत्नी सुनेत्रा पवार ने पति के पार्थिव शरीर पर गंगाजल चढ़ाकर अंतिम विदाई दी. इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चाचा शरद पवार, सुप्रिया सुले, नितिन गडकरी, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे. बारामती के विद्या प्रतिष्ठान श्मशान घाट में अजित पवार का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया. अंतिम संस्कार में महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों से भी लोग पहुंचे. बारामती में देर रात से लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था. सुबह के वक्त कई इलाकों में जाम की स्थिति बन गई. समर्थक बाइक, ट्रैक्टर-ट्रॉली और बस से भी अंतिम दर्शन के लि पहुंचे. अंतिम यात्रा में एक से दो किमी तक तक लोग ही लोग नजर आ रहे थे. बता दें कि पवार का चार्टर्ड प्लेन बुधवार को बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हुआ था. हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, दो पायलट और एक महिला क्रू समेत 5 लोगों की मौत हुई. पवार 5 फरवरी को पुणे में होने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए 4 रैलियों को संबोधित करने वाले थे.

एनसीपी ने सुनेत्रा पवार को चुना अजित पवार का उत्तराधिकारी

- डिप्टी सीएम बनाने के लिए सौंपा जाएगा प्रस्ताव
- प्रफुल्ल पटेल बन सकते हैं एनसीपी के अध्यक्ष

पुणे/मुंबई, 29 जनवरी. महाराष्ट्र के दिवंगत डिप्टी सीएम अजित पवार की पार्टी ने उत्तराधिकारी के तौर उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार का नाम आगे किया है.

एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और पार्टी के दिग्गज नेता छगन भुजबल के अनुसार बीजेपी को सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव सौंपा जाएगा. सुनेत्रा पवार अभी राज्यसभा की सांसद हैं. अगर वह डिप्टी सीएम बनती हैं तो वह अजित पवार की बारामती सीट से लड़कर विधायक बन जाएंगी.

क्रैश विमान का मिला ब्लैक बॉक्स

जिस विमान के क्रैश होने से अजित पवार सहित पांच की मौत हुई थी. उसका ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जिससे साफ होगा कि हादसे की वजह क्या थी. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के सूत्रों ने बताया कि विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है.

अब भारत में बनेंगे सुपरजेट-100 विमान

- एचएएल-रूस के बीच मेक इन इंडिया वाला समझौता

नई दिल्ली, 29 जनवरी. भारत की एयरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक साझेदारी की है.

दरअसल, एचएएल और यूएसी ने हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया प्रदर्शनी के दौरान रूस के प्रसिद्ध सुपरजेट-100 (एसजे-100) विमान के भारत में उत्पादन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए.

हैदराबाद में विंग्स इंडिया अंतरराष्ट्रीय विमानन प्रदर्शनी के दौरान समझौते को लेकर हस्ताक्षर किया. इस समझौते का मुख्य उद्देश्य मेक इन इंडिया पहल को सशक्त बनाना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए विदेशी आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना है. इस समझौते के तहत, एचएएल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करते हुए, दो इंजन वाले नैरो-बॉडी जेट विमानों का लाइसेंस-आधारित उत्पादन करेगी.

नालों की सफाई के कारण होने वाली मौतों पर 30 लाख मुआवजा

नई दिल्ली, 29 जनवरी. उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मैला ढोने और नालों की सफाई के कारण होने वाली मौतों के लिए मुआवजे को बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने का उसका आदेश पुराने मामलों पर भी लागू होगा, यदि उनमें अभी तक मुआवजा तय नहीं हुआ है या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है. उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने अक्टूबर 2023 के %बलराम% मामले में ऐसी मौतों के लिए मुआवजे की राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख कर दी थी.

भारत की विकास गाथा हुई मजबूत : निर्मला

56.2 करोड़ लोगों के पास रोजगार का दावा

800 पन्नों का आर्थिक सर्वे संसद में किया पेश

नई दिल्ली, 29 जनवरी. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार संसद में आर्थिक समीक्षा 2025-26 पेश की. बजट सत्र से ठीक एक दिन पहले पेश किया गया यह दस्तावेज भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा का आधिकारिक रिपोर्ट कार्ड है. मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन की देखरेख में तैयार किए गए इस सर्वे का लब्बोलुआब यह है कि भारत की विकास गाथा (ग्रोथ स्टोरी) मजबूत बनी हुई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच हमें सतर्क रहने की जरूरत है. 800 पन्नों की रिपोर्ट से यह समीक्षा तैयार की गई है.

आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख बिंदु : स्थिर और मजबूत सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत से 7.2 प्रतिशत के बीच रहेगी. हालांकि, यह चालू वित्त वर्ष (2025-26) के अनुमानित 7.4 प्रतिशत से थोड़ी कम है, लेकिन वैश्विक मंदी के माहौल में यह आंकड़ा भारत की स्थिरता को दर्शाता है. आम आदमी के लिए राहत की बात यह है कि महंगाई नियंत्रित है. आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान घरेलू मुद्रास्फीति औसतन 1.7 प्रतिशत रही है.

कोर इन्फ्लेशन में कमी यह संकेत देती है कि सप्लाई-साइड की स्थिति में सुधार हुआ है.

राज्यों की मुफ्त रेवड़ी पर चेतावनी

सर्वे में राज्यों द्वारा बिना शर्त नकद हस्तांतरण और वित्तीय लोक लुभावनवाद पर चिंता जताई गई है. इसमें कहा गया है कि ऐसे खर्च पूंजीगत व्यय को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे अंततः सॉवरेन उधारी की लागत बढ़ सकती है.

एक करोड़ लोगों को रोजगार देगी सरकार

सीएम नीतीश ने समस्तीपुर जिले को दी 827 करोड़ की सौगात

समस्तीपुर, 29 जनवरी. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार बिहार में एक करोड़ लोगों को रोजगार देने के प्रति कृत संकल्पित है.

श्री कुमार आज समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण में समस्तीपुर पहुंचें. इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री कुमार ने करीब 827 करोड़ रुपये की 188 विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया. मुख्यमंत्री श्री कुमार ने जिले के जितवारपुर स्थित हाउसिंग बोर्ड मैदान में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए अगले पांच वर्षो मे एक करोड़ लोगों को रोजगार देगी. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है. उन्होंने विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जात-पात के नाम पर लोगों के बीच सिर्फ नफरत फैला कर राजनीति की गई. श्री कुमार ने कहा कि

नीतीश ने समृद्धि यात्रा के दौरान समस्तीपुर जिले में 827 करोड़ रुपये की लागत से 188 योजनाओं का उद्घाटन, कार्यारंभ एवं शिलान्यास किया. मुख्यमंत्री ने समृद्धि यात्रा के क्रम में राज कीय अभियंत्रण महाविद्यालय के परिसर में रिमोट के माध्यम से शिलापट अनावरण कर समस्तीपुर जिले के लिए 470 करोड़ रुपये की 71 योजनाओं का शिलान्यास, 273 करोड़ रुपये की 74 योजनाओं का उद्घाटन एवं 84 करोड़ की 43 योजनाओं का कार्यारंभ किया. सीएम ने समृद्धि यात्रा के क्रम में समस्तीपुर जिले में विभिन्न योजनाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कार्य तेजी से पूर्ण करने का निर्देश दिया .इससे पहले विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की सचिव डॉ. प्रतिमा ने मुख्यमंत्री श्री कुमार को पुष्प गुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया. श्री कुमार ने सरायरंजन स्थित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, समस्तीपुर के परिसर का निरीक्षण किया.

मांग नोटिस

जबकि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (नीचे उल्लिखित ट्रस्टों के न्यासी के रूप में कार्य करते हुए) (जिसे आगे "ARCIL" कहा गया है) के अधिकृत अधिकारी कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित है और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (जिसे आगे "SARFAESI अधिनियम" कहा गया है) के तहत एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के रूप में पंजीकृत है, और जबकि नीचे उल्लिखित चार्ट के स्तंभ संख्या 2 में उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं ने मूल ऋणदाता IIFL-होम फाइनेंस लिमिटेड से ऋण प्राप्त किया है, और जबकि ARCIL ने नीचे उल्लिखित ट्रस्ट खातों से संबंधित वित्तीय परिसंपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया है, और जबकि ARCIL, SARFAESI अधिनियम के तहत सुरक्षित ऋणदाता होने के नाते, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ, मांग नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करें, लेकिन नोटिस नहीं भेजा जा सका। ट्रस्ट का नाम: आर्सिल ट्रस्ट-2026-015

उधारकर्ता/गारंटर का नाम	मांग नोटिस दिनांक और राशि	सुरक्षित परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
श्रीमती समीक्षा कुशवाह जी माधवराम कुशवाह (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10579460)	06-जनवरी-2026, रु. 2160262.05/- (इक्कीस लाख साठ हजार दो सौ बासठ और पांच पैसे मात्र)	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा प्लॉट संख्या बी-193, आनंदम सिटी, ग्राम पिगडंबर, इंदौर 453331, क्षेत्रफल वर्ग फुट में: संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र, संपत्ति का क्षेत्रफल: 800.00, 800.00

अतः, ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को यह सूचना दी जाती है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के विरुद्ध ऊपर दर्शाई गई कुल बकाया राशि का भुगतान करें। यदि संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता कुल बकाया राशि और ब्याज का भुगतान करने में विफल रहता है, तो ARCIL धारा 13(4) के तहत ऊपर वर्णित संपत्तियों पर सुरक्षा हित लागू करने के लिए बाध्य होगा। आपको सूचित किया जाता है कि उक्त बंधक के सार्वजनिक नीलामी या निजी बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के लिए निजी संधि की सूचना के प्रकाशन की तिथि से पहले किसी भी समय ARCIL द्वारा किए गए सभी खर्चों, शुल्कों और लागतों के साथ पूरी राशि के भुगतान पर छुड़ाया जा सकता है, जैसा कि SARFAESI अधिनियम की धारा 13(8) में विस्तृत है।

कृपया ध्यान दें कि SARFAESI अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको एतद्द्वारा बिक्री, पट्टे या किसी अन्य तरीके से किसी भी प्रकार से सुरक्षित संपत्तियों के हस्तांतरण और/या उनसे संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

स्थानः इन्दौर
दिनांकः 30-01-2026,
हस्ताक्षर/- अधिकृत अधिकारी,
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ट्रस्टी के रूप में)

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड। सीआईएन क्रमांक-U65999MH2002PLC134884
पंजीकृत कार्यालयः द रूबी, 10वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028।
दूरभाषः +91 2266581300। वेबसाइटः www.arcil.co.in

नॉर्दर्न एआरसी कैपिटल लिमिटेड

NORTHERN ARC

पंजीकृत कार्यालय: 10वीं मंजिल, चरण-क, आईआईटी-मद्रास रिसर्च पार्क, कनगम गांव, तारामणि, चेन्नई - 600113, तमिलनाडु।

(नियम - 8 (1) कब्जे का नोटिस)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े गए धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 28 नवंबर 2025 को एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ताओं को (1) महेश पाटीदार (उधारकर्ता) बिडवाल रोड ग्राम कोड धार, मध्य प्रदेश - 454665, (2) श्री महेश पाटीदार (मेसर्स आनपूर्णा ट्रेडिंग के मालिक) (सह-उधारकर्ता) पता न्यू हवेली, लालपुर, जामनगर, गुजरात - 361170, (3) श्रीमती राजुबाई (सह-उधारकर्ता) पता... 365 ग्राम कोड टेमिला, बदनवार, बिडवाल रोड, कोड, मध्य प्रदेश, पिनकोड 454665 को नोटिस में उल्लिखित राशि 20,27,985.31/- रुपये (बीस लाख सत्ताईस हजार नौ सौ पचासी और इकतीस पैसे मात्र) का भुगतान 18 नवंबर 2025 तक ब्याज सहित 19 नवंबर 2025 से करने का आदेश दिया जाता है, उक्त नोटिस की प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर।

ऋणकर्ता द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने के कारण, ऋणकर्ता/गारंटर/सह-ऋणकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 24 जनवरी, 2026 के इस कब्जे के नोटिस के माध्यम से नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

ऋणकर्ता/गारंटर/सह-ऋणकर्ता और आम जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड द्वारा 18 नवंबर, 2025 तक 20,27,985.31/- (बीस लाख सत्ताईस हजार नौ सौ पिच्यासी और इकतीस पैसे मात्र) के प्रभार के अधीन होगा, जिसमें 19 नवंबर, 2025 से ब्याज, लागत आदि भी शामिल होंगे।

संपत्ति का विवरण

ग्राम कोड, पटवारी मकान संख्या 67, ग्राम आबादी सर्वेक्षण संख्या 746, मकान संख्या 365, वार्ड संख्या 06, ग्राम कोड, तहसील बदनावर, जिला धार (मध्य प्रदेश) में स्थित मकान। कुल क्षेत्रफल 2400 वर्ग फुट। सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: शंकरलाल जी की भूमि, पश्चिम: साझा मार्ग, उत्तर: सत्यनारायण का मकान। दक्षिण: शंकरलाल पलोत्रा का मकान।

स्थान: मध्य प्रदेश
दिनांक: 24 जनवरी 2026
एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड

शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा का तोहफा

- सीएम योगी ने मंत्रिमंडल की बैठक में दी प्रस्ताव को मंजूरी

लखनऊ, 29 जनवरी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 32 प्रस्तावों में से 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. उत्तर प्रदेश के लगभग 15 लाख शिक्षकों को कैशलेश चिकित्सीय सुविधा का तोहफा योगी सरकार ने दिया है.

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई है. बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े अहम फैसले भी लिए गए. बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग भी शिक्षकों को अब कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा. यह सुविधा आयुष्मान योजना के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जिससे लगभग 12 लाख शिक्षक लाभान्वित होंगे. इस निर्णय से शिक्षकों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित होगा.

वहीं, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने जानकारी दी कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले लगभग तीन लाख शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और यह निर्णय उसी दिशा में एक बड़ा कदम है. कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे प्रदेश के लाखों शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी.

कार्यालय नगर पालिक निगम, खण्डवा (म.प्र.) 450001

(जनकार्य एवं उद्यान विभाग)

क्रमांक- 1358/ जन. वि. / ई-टेण्डरिंग / 2026 — खण्डवा, दिनांक- 22/01/2026

-:: निविदा विज्ञप्ति ::-

निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा ऑनलाईन आमंत्रित की जाती है, उल्लेखित कार्य की निविदा व विस्तृत वेबसाईट http://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्रं.	ऑनलाईन पोर्टल	कार्य का नाम	अनुमानित लागत जी.एस.टी. सहित (लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र की राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	2026_UAD_477896_1	मुख्यमंत्री अधोसंरचना अंतर्गत साई रामनगर वार्ड में गणेश खतवासे के मकान से शंकर किराना तक सी.सी. रोड निर्माण का कार्य ।	12.00 Lacs	12,000	2,000	30 दिन

निविदा ऑनलाईन क्रय एवं प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक : 23/02/2026 (शाम 5.30 बजे तक)
निविदा खोलने की दिनांक : 25/02/2026 (प्रातः 10.30 बजे)
निविदा संबंधी रामस्त जानकारी वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है निविदा में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो वह वेबसाइट पर देखा जा सकता हैं।

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम, खण्डवा

एच.डी.एफ.सी. बैंक लि.

HDFC BANK — We understand your world

पंजीकृत कार्यालयः एच.डी.एफ.सी. बैंक हाऊस, सेनापती बापट मार्ग लोअर परेल (पश्चिम) मुम्बई 400020
शाखाः एच.डी.एफ.सी. हाऊस, सहारनपुर लिंक रोड, नासिक-422005 सीआईएनः L65920MH1994PLC080618 वेबसाईटः www.hdfcbank.com

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूतिहित हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत।

जबकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठनअधिनियम 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के सपठित धारा 13(12) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड** (पूर्ववर्ती एचडीएफसी लिमिटेड का दिनांक 17 मार्च 2023 के आदेश के तहत माननीय एनसीएलटी-मुंबई द्वारा अनुमोदित समामेलन की एक योजना के आधार पर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया है) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निम्नलिखित ऋणियों/वैध वारिसों/ वैध प्रतिनिधियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई दिनांक से 60 दिन के अंदर मांग सूचनाओं में अंकित राशियों के भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आमंत्रित किया था। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा ऋणियों/ सह-ऋणियों /वैध वारिसों/वैध प्रतिनिधियों को उनके अंतिम ज्ञात पते के परिसर में इन सूचनाओं को चस्पा कर दिया गया था तथा ऋणियों/ सह-ऋणियों/वैध वारिसों/वैध प्रतिनिधि यदि चाहे तो वे सामान्य कार्यालयीन समय के दौरान किसी भी कार्यदिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता से संबंधित प्रतिलिपी प्राप्त कर सकते है।

उपरोक्त के संबंध में, एतद् द्वारा ऋणियों/सह-ऋणियों /वैध वारिसों/वैध प्रतिनिधियों को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त ऋणियों द्वारा निष्पादित, यदि कोई हो तो ऋण अनुबंध तथा अन्य लेख/दस्तावेज के स पठित निराकरण/भुगतान की दिनांक तक नीचे दिए गए कॉलम (सी) में अंकित संबंधित दिनांक से मांग सूचनाओं में वर्णित 18% ब्याज सहित संबंधित नामों के समक्ष नीचे दी गई राशियों का इस सूचना प्रकाशन की दिनांक से **60 दिन** के अंदर एचडीएफसी को भुगतान करें। ऋण के देय भुगतान हेतु प्रतिभूति के रुप में क्रमशः निम्न सम्पत्तियाँ ऋणियों द्वारा एचडीएफसी को बंधक रखी गई है :-

ऋणी(यों)/ सह -ऋणी(यों)/कानूनी वारिस (सों)/ कानूनी प्रतिनिधि(यों)का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के सदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्रं.	ऋणीयों/वैध वारिसों तथा वैध प्रतिनिधियों के नाम	कुल बकाया राशि	मांग नोटिस की दिनांक	सुरक्षित आस्ति(यों)/ अचल संपत्ति (यों) का विवरण
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	श्री अभिषेक भट्ट श्रीमती विभा साबू	₹ 31,15,754.16 दिनांक 31/10/2025 तक	12/11/2025	रॉ हाउस-17, सार्थक गैलेक्सी, रॉ हाउस , सर्वे नं. 532/6, 532/5/1,532/1,532/3 532/4 ग्राम राउ, 453331

* आगे प्रतिवर्ष 18% ब्याज आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित निराकरण/भुगतान होने की दिनांक तक।

यदि ऋणी उपरोक्तानुसार एचडीएफसी को भुगतान करने में असफल होते है तो एचडीएफसी उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत तथा लागू नियमों के तहत सुरक्षित संपत्तियो/ अचल संपत्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने को बाध्य होगी जिसके परिणाम व लागत की सम्पूर्ण जवाबदारी ऋणि(यों)/वैध वारिसों(सों)/वैध प्रतिनिधियों (यों) की रहेगी।

उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत ऋणी(यों)/वैध वारिस(सों)/वैध प्रतिनिधी(यों) एचडीएफसी की पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियो/ अचल संपत्तियों को किसी भी तरह के विक्रय, लीज़ या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरण हेतु प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों या इसके अधिन नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया जाएगा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कैद या जुर्माने का पात्र होगा।

स्थान : इंदौर, दिनांक : 30.01.2026
वास्ते/- प्राधिकृत अधिकारी
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

एच.डी.एफ.सी. बैंक लि.

HDFC BANK — We understand your world

एचडीएफसी बैंक लि. स्कीम नं. 94, सेक्टर-बी, रिंग रोड, बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे इंदौर, मध्य प्रदेश - 452010

सरफासी एक्ट, 2002 के अंतर्गत सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता **एच.डी.एफ.सी. बैंक लि.** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) की धारा 13(2) सहपठित नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके निम्न ऋणगृहिताओं एवं सह-आवेदकों को सूचना दी जाती है। सूचना प्राप्ति से 60 दिन के अन्दर ऋण राशि अदा करने की अपेक्षा की जाती है। चूंकि यह नोटिस डाक के माध्यम से ऋणगृहिताओं को नहीं दिया गया था, इसलिए इसे उक्त अधिनियम के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है, अतः ऋणगृहिता एवं सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न हस्ताक्षरकर्ता के नीचे वर्णित बंधक सम्पत्ति का आधिपत्य 60 दिन पश्चात् अधिनियम की धारा 13(4) सहपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्राप्त कर लिया जाएगा।

ऋणगृहिता को विशेषतः तथा समस्त जनता को साधारणतः सतर्क किया जाता है कि इस सम्पत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार न करें तथा यदि कोई संव्यवहार किया गया हो तो वह **एचडीएफसी बैंक लि. स्कीम नं. 94, सेक्टर-बी, रिंग रोड, बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे इंदौर, मध्य प्रदेश - 452010** के ऋणगृहिताओं के समक्ष राशि के चार्ज के अधीन होगा।

क्र.	ऋणी/सह-ऋणी/जमानतदार का नाम व पता एवं खाता नम्बर	सूचना दिनांक / अतिदेय की रकम
1	**1. एमबीए चाय वाला प्राइवेट लिमिटेड (ऋणी)** पताः एमबीए चाय वाला (ओपीसी) प्राईवेट लिमिटेड, 516, 5वी मंजिल अपोलो प्रीमियर प्लॉट नं.1, स्कीम नं.54, पीयू-4, कॉमर्शियल विजयनगर चौराहा, फर्जी कैफे, इन्दौर, मध्यप्रदेश-452001 **2. प्रफुल्ल बिल्लोरे (सह-ऋणी), पताः** 56, एक्स्ट इन्ट्रा संचार नगर कनाडिया मैन रोड, इन्दौर म.प्र.-452001	26-09-2025 / ₹ 7,72,391.26/-

चल संपत्ति का विवरण

Product	Loan No.	Model	Reg.No.	Engine No.	Chasis No.
AUTO LOAN	124920272	TATA HARRIER XZA PLUS AT	NA	46343841-4141281	MAT631575 MPN89997

क्र.	ऋणी/सह-ऋणी/जमानतदार का नाम व पता एवं खाता नम्बर	सूचना दिनांक / अतिदेय की रकम
2	**1. सोहन बिल्लोरे (ऋणी)** पताः 5 कोर्ट रोड धार-454001, मध्यप्रदेश	07-10-2025 / ₹ 7,81,924.97/-

चल संपत्ति का विवरण

Product	Loan No.	Model	Reg.No.	Engine No.	Chasis No.
AUTO LOAN	130575415	NEXON D XZ PLUS ST	GJ01WG 5309	15CR05EX XW11150	MAT627238 NLE56012

क्र.	ऋणी/सह-ऋणी/जमानतदार का नाम व पता एवं खाता नम्बर	सूचना दिनांक / अतिदेय की रकम
3	**1. प्रफुल्ल बिल्लोरे (ऋणी), पताः** फ्लैट नं. एफ/1401, सन साउथ रेज बीएच, शालिग्राम प्राईम आरोही क्रेस्ट रोड, साउथ बोपल, अहमदाबाद-380058 गुजरात	07-10-2025 / ₹ 14,63,469.69/-

चल संपत्ति का विवरण

Product	Loan No.	Model	Reg.No.	Engine No.	Chasis No.
AUTO LOAN	136324290	TATA SAFARI 2.0 XE D MT	MP09 ZH1799	46343841 4202678	MAT631174 NWH67186

स्थान : इन्दौर (म.प्र.)
दिनांक : 30.01.2026
हस्ते /- (प्राधिकृत अधिकारी)
एच.डी.एफ.सी. बैंक लि.,

आज का इतिहास

1530 - मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह का निधन।

1649 - इंग्लैंड के सम्राट 'चार्ल्स प्रथम' का सिर कलम किया.

1790 - पहली लाइफबोट को टायन नदी में उतारा गया.

1889 - प्रसिद्ध हिन्दी साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का जन्म.

1903 - लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) के मेटकॉफ हॉल में 'इंपीरियल लाइब्रेरी' का उद्घाटन किया.

1910 - भारतीय राजनेता, वकील और पूर्व रक्षा मंत्री चिदंबरम सुब्रमण्यम का जन्म.

1911 - 'कैनेडियन नेवल सर्विस' का नाम बदलकर 'रॉयल कैनेडियन नेवी' किया गया.

NAME CHANGE

I, Pritam Singh Gohil, hereby declare that my name is recorded as Preetam Gohil in my 10th,12th and other academic documents.I have now changed my name to Pritam Singh Gohil, and henceforth I shall be known by this name for all official and personal purposes.

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, प्रीतम सिंह गोहिल, यह घोषणा करता हूँ कि मेरे 10वीं 12वी और अन्य शैक्षणिक योग्यताओं में मेरा नाम प्रीतम गोहिल (Preetam Gohil) दर्ज है। अब मैंने अपना नाम बदलकर प्रीतम सिंह गोहिल (Pritam Singh Gohil) कर लिया है, और अब से सभी आधिकारिक और व्यक्तिगत कार्यों के लिए मुझे इसी नाम से जाना जाएगा।

NAME CHANGE

I, Sonali Sakle, hereby declare that my name is recorded as Sonali in my Class 10, Diploma and bachelor marksheet and other academic documents. I have changed my name to Sonali Sakle, and henceforth, I shall be known by this name for all official and personal purposes.

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, सोनाली साकले (Sonali Sakle) यह घोषणा करती हूँ कि कक्षा 10, डिप्लोमा और स्नातक की मार्कशीट तथा अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम सोनाली (Sonali) दर्ज है। मैंने अपना नाम बदलकर सोनाली साकले (Sonali Sakle) कर लिया है, और अब से सभी आधिकारिक और व्यक्तिगत कार्यों के लिए मुझे इसी नाम से जाना जाएगा।